बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं0– 179 (क) /कृषि, पटना दिनांक 09.03.2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
बीरचन्द पटेल पथ, पटना

#अनौपचारिक रूप से
परामर्शित #द्वारा– वित्त विभाग।

विषय – **राज्य स्कीम मद् से वित्तीय वर्ष 2018–19 में किसानों के कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकरण हेतु सहज एवं सी०एस०सी० के वसुधा केन्द्रों को सेवा शुल्क के भुगतान हेतु रू० 30000000 (तीन करोड़ रूपये) मात्र की लागत पर योजना के कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत

1. राज्य स्कीम मद् से वित्तीय वर्ष 2018–19 में किसानों के कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकरण हेतु सहज एवं सी०एस०सी० के वसुधा केन्द्रों को सेवा शुल्क के भुगतान हेतु रू० 30000000 (तीन करोड़ रूपये) मात्र की लागत पर योजना के कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य अन्तर्गत किसान परिवार की संख्या लगभग 1.61 करोड़ है। किसान को कृषि विभाग से विभिन्न योजनाओं में लाभ दिया जाता है। किसान को बार–बार अपना विस्तृत विवरण आवेदन के साथ भरना पड़ता है तथा बार–बार उनका पहचान करना पड़ता है। इससे समय की बर्वादी होती है एवं समय पर किसनों को लाभ नहीं मिल पाता है। इस समस्या को कम करने हेतु किसानों का आधार ऑथेंटिकेशन के साथ निबन्धन की आवश्यकता महसूस की गयी ताकि Claim Processing Software की मदद से किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सके। इस उद्देश्य से विभाग को सहज एवं सी०एस०सी० के वसुधा केन्द्रों की मदद आवश्यक हो गयी, क्योंकि उनका केन्द्र पंचायत स्तर तक है। इस कारण कृषि विभाग द्वारा सहज एवं सी०एस०सी० के साथ इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु MoU किया गया, जिसके लिए उन्हें प्रति किसान 10 (GST छोड़कर) रू० सर्विस चार्ज निर्धारित है। उक्त MoU के आलोक में राज्य के किसानों का सी०एस०सी० एवं सहज के केन्द्रों द्वारा दिनांक–27.12.2019 तक क्रमशः 5,41,153 एवं 5,97,460 अर्थात कुल 11,38,613 किसानों का निबंधन किया जा चुका है तथा यह कार्य लगातार अभी भी जारी है। उक्त कार्य से संबंधित सर्विस चार्ज भुगतान हेतु तत्काल रू० 30000000 (तीन करोड़ रूपये) की आवश्यकता है, ताकि उनके द्वारा किये गये निवन्धित किसान के बदले सर्विस शुल्क एवं GST का भुगतान किया जा सके।

3. स्वीकृत राशि की अग्रिम निकासी संबंधित कोषागार से प्रपत्र 26 में कृषि निदेशक, बिहार द्वारा की जायेगी तथा इसे बामेती के पी०एल० खाता 278 में अंतरित की जायेगी। कृषि निदेशक बिहार/नोडल पदाधिकारी, डी०बी०टी० कोषांग के परामर्श से निदेशक बामेती द्वारा इस राशि को संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सी को भुगतान किया जाएगा।

4. बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 104–कृषि फारम, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0106–कृषि नवीनता में प्रोत्साहन, विपत्र कोड–01–2401001040106, विषय शीर्ष– 0106.27.01 लधु कार्य	1013.110	249.00
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–01,उपशीर्ष–0147–कृषि नवीनता में प्रोत्साहन, विपत्र कोड–01–2401007890147, विषय शीर्ष– 0147.27.01 लधु कार्य	195.300	48.00
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष 0169 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन,विपत्र कोड–01–2401007960169, विषय शीर्ष–0169.27.01 लधु कार्य	12.210	3.00
कुल	**1220.620**	**300.00**

5. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का व्यय बिहार, वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधान के तहत सुनिश्चित किया जाएगा।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–09 आई०टी०–07/2018 के पृ0–13/टि0 पर दिनांक–09.03.2019 को प्राप्त है।

6. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

7. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार से आपत्ति संचिका संख्या–मो०–45/18 के पृ0–14/टि0 पर दिनांक–09.03.2019 को प्राप्त है। उक्त आपत्ति के बिन्दु पर प्रधान सचिव का अनापत्ति संचिका संख्या–मो० 45/18 के पृष्ठ–15/टी० पर दिनांक–09.03.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– 179 (क) /कृ0, पटना, दिनांक 09.03.2019

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– 179(5) /कृ0, पटना, दिनांक 09.03.2019

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/निदेशक, बामेती/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

Rabindra
9.3.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।